



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15072022-237302
CG-DL-W-15072022-237302

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जुलाई 3—जुलाई 9, 2022, शनिवार/ आषाढ 12—आषाढ 18, 1944
No. 27] NEW DELHI, JULY 3—JULY 9, 2022, SATURDAY/ASADHA 12—ASADHA 18, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

का.आ. 629.—भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4(2)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज जैन के स्थान पर श्री सुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. ए-11011/04/2022-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Service)

New Delhi, the 4th July, 2022

S.O. 629.—In exercise of the powers conferred by Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Suchindra Mishra., Additional Secretary, Department of Financial Services as Director on the Board of the Life Insurance Corporation of India, with immediate effect and until further orders, vice Sh. Pankaj Jain.

[F. No. A-11011/04/2022-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

का.आ. 630.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अमित अग्रवाल के स्थान पर श्री सुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. ए-11011/04/2022-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th July, 2022

S.O. 630.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby nominates Shri Suchindra Mishra, Additional Secretary, Department of Financial Services as part-time member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India with immediate effect and until further orders, vice Shri Amit Agrawal.

[F. No. A-11011/04/2022-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 631.—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव के भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है।

[फा. सं. ए-11011/04/2022-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th July, 2022

S.O. 631.—In exercise of the powers conferred by clause (b)(iii) of sub-section (2) of section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby discontinue, the nomination of Shri Amit Agrawal, Additional Secretary as a member of the Council of the Institute of Actuaries of India, with immediate effect.

[F. No. A-11011/04/2022-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.